न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 204 / 2017(राजस्व वाद) दायद दिनांक–26.10.2017

फैसल दिनांक–

अनवान

1– श्री शान्तिलाल पिता गेबीलाल ब्राम्हण निवासी बुचियाबडा

(वादी)

बनाम

1– श्रीमती निर्मला पत्नि दुर्गाशंकर ब्राम्हण निवासी बुचियाबडा

(प्रतिवादी)

वकील वादी –श्री दिनेशचन्द्र चौबिसा

वकील प्रतिवादी – ––

वाद अन्तर्गत धारा 128 राज0लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी गांव बुचियाबडा तहसील सागवाडा का निवासी होकर मोजा बुचियाबडा की जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 66 के खसरा संख्या 568,571,572 का सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। इस खाते के खातेदारान कन्हैयालाल ,अम्बालाल ,बापुलाल ,वासुदेव ,कान्ता ,धनु , उषा,शान्ति, सुशिला पिता श्री शंकरलाल एंव पार्बती बेवा शंकरलाल व शान्तिलाल रमणलाल हिरा भगवती पिता श्री गेबीलाल एवं श्रीमती गुलाब बेवा श्री गेबीलाल दर्ज है । वादी की ओर से इस खाते के खेत खसरा संख्या 568 रकबा बारह बिस्वा किस्म मगरी बीड एंव खसरा संख्या 572रकबा दो बीधा सत्रह बिस्वा मगरी बीड कुल रकबा तीन बीघा नौ बिस्वा की होना बताते हुए इस भूमि का तथा अन्य भूमि का विवाद विपक्षी तथा वादी एंव अन्य खातेदारान काश्तकारान के मध्य न्यायायालय में विचाराधीन था जिसमें लोक अदालत में दिनांक 5.6.2015 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर उक्त खसरो की भूमि उक्त खातेदारान के नाम पर नामान्तरकरण से अंकित की गई है इस कारण इसका सही सीमांकन फिल्ड बुक के आधार से नपती कराना आवश्यक होना बताया है ।

वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी को सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी स्वयं उपस्थित नही होकर प्रतिवादिया के पति दूर्गाशंकर द्धारा जवाब प्रस्तुत किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादिया का सम्मन तामिल होने के उपरान्त भी स्वयं द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर प्रतिवादिया के पति द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाने से जवाब रेकार्ड पर नही लिया जाकर प्रतिवादीया के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर वकील वादी की एक पक्षीय बहस समायत की गई ।

विद्वान अभिभापक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में उल्लेखित खसरो की भूमि उक्त खातेदारान के नाम पर नामान्तरकरण से अंकित की गई है इस कारण इसका सही सीमांकन फिल्ड बुक के आधार से नपती कराना आवश्यक होना बताते हुए अपनी बहस समाप्त की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । वादी मोजा बुचियावडा की जमावन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 66 के खसरा संख्या 568,571,572 का सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। इस खाते के खातेदारान कन्हैयालाल ,अम्बालाल ,बापुलाल ,वासुदेव ,कान्ता ,धनु , उषा,शान्ति, सुशिला पिता श्री शंकरलाल एंव पार्बती बेवा शंकरलाल व शान्तिलाल रमणलाल हिरा भगवती पिता श्री गेबीलाल एवं श्रीमती गुलाब बेवा श्री गेबीलाल दर्ज है । वादी की ओर से इस खाते के खेत खसरा संख्या 568 रकबा बारह बिस्वा किस्म मगरी बीड एंव खसरा संख्या 572रकबा दो बीधा सत्रह बिस्वा मगरी बीड कुल रकबा तीन बीघा नौ बिस्वा की होना बताते हुए इस भूमि का तथा अन्य भूमि का विवाद विपक्षी तथा वादी एंव अन्य खातेदारान काश्तकारान के मध्य न्यायायालय में विचाराधीन था जिसमें लोक अदालत में दिनांक 5.6.2015 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर उक्त खसरो की भूमि उक्त खातेदारान के नाम पर नामान्तरकरण से अंकित की गई है इस कारण इसका सही सीमांकन फिल्ड बुक के आधार से नपती कराना आवश्यक होना बताया है ।

अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा बुचियाबडा के खसरा संख्या 568 रकबा बारह बिस्वा किस्म मगरी बीड एंव खसरा संख्या 572रकबा दो बीधा सत्रह बिस्वा मगरी बीड कुल रकबा तीन बीघा नौ बिस्वा का वर्तमान शीट के ट्रैस(मोमजामा)से नियमानुसार पेमाईश करा रिपोर्ट मय ट्रेस के उपलब्ध करावें ।

निर्णय आज दिनांक 20/12/18 को सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner